

कार्यालय :-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)

—:: विविध आदेश ::—

क्रमांक ७ / एक-11-2/98

विदिशा, दिनांक : २८ / २ / 2024

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश क्रमांक 150 / गोपनीय / 2024, जबलपुर दिनांक 23.02.2024 के द्वारा श्रीमती दीपा पोल, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड लटेरी का स्थानांतरण तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, जबलपुर होने तथा उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायाधीश की पदस्थापना न होने से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समस्त व्यवहार प्रकरण सारणी के स्तम्भ क्रमांक 02 में वर्णित न्यायालय से स्तंभ क्रमांक 03 अनुसार प्रत्याहरित कर, विधि अनुसार निराकरण हेतु स्तंभ क्रमांक 05 में वर्णित न्यायालय में अंतरित किये जाते हैं। उक्त आदेश पीठासीन अधिकारी के कार्यभार मुक्त होने के उपरांत तत्काल प्रभावशील होगा।

क्रं०	न्यायालय से	प्रकरण का विवरण	प्रकरणों की संख्या	न्यायालय में
01	02	03	04	05
01.	श्रीमती दीपा पोल, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, लटेरी	समस्त व्यवहार प्रकरण		श्री कुलदीप नामदेव, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, लटेरी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश लटेरी

पृष्ठांकन क्रमांक ६२ / एक-11-2/98
प्रतिलिपि :-

Sd/-
(ज़ाकिर हुसैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विदिशा (म0प्र0)

विदिशा, दिनांक २८/२/२०२४

1. श्रीमती दीपा पोल, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, लटेरी
2. श्री कुलदीप नामदेव, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, लटेरी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश लटेरी
3. अध्यक्ष / सचिव, अभिभाषक संघ, लटेरी, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, विदिशा, की ओर संबंधित न्यायिक अधिकारी को ई-मेल करने एवं न्यायालय की साईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. सिस्टम असिस्टेंट, लटेरी की ओर प्रकरण संबंधित न्यायालय में अंतरित किये जाने हेतु प्रेषित।

५२
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म0प्र0)